राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांकः– प.4(ई)(1)(6)/(डी–4269)/अलेसे–ा/66-73 दिनांकः– 10.07.25

आख्यात्मक–आदेश

श्री दिनकर सिंह, सलेअ–ा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–161/2021 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा कलक्ट्रेट हनुमानगढ़ में लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एवं आपराधिक षडयंत्र करना तथा परिवादी द्वारा वेतन बजट मांगने पर रिश्वत की मांग करना इत्यादि आरोप पाये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं भा.द.सं. की धारा 120बी में प्रथम दृष्टया अपराधी होना पाया गया। जिसके क्रम में विभागीय पत्रांक 01 दिनांक 01.04.2022 द्वारा श्री दिनकर सिंह, सलेअ–ा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र प.2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.2010 के अनुसरण में विभागीय पत्रांक 02 दिनांक 01.04.2022 द्वारा श्री दिनकर सिंह को निलम्बित कर निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, बीकानेर किया गया। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए श्री दिनकर सिंह, सलेअ–ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण, अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप–पत्र, आरोप विवरण–पत्र भी जारी किया जा चुका है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–5249/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 को पारित अन्तरिम निर्णय कि **"विभागीय निलम्बन आदेश दिनांक 01.04.2022 पर स्थगन" के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि श्री दिनकर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–ा (निलम्बित) वर्तमान में जिला कलक्ट्रेट, हनुमानगढ़ में पदस्थापित है।**

उपर्युक्त निलम्बन आदेश दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर मे प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5249/2022 श्री दिनकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2025 इस प्रकार है–

"The Present petition is disposed of with a direction to the respondents (the disciplinary/ suspending authority of petitoner) to take a fresh decision under Rule 13(5) of the Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958 qua the impugned suspension order of the petitioner in light of the judgment, ibid. Till the proposed decision is taken, the interim protection granted to the petitioner by this Court, as above, shall continue to enure to his benefit. In case the suspension is not revoked by the disciplinary/suspending authority, a speaking order shall be passed and the petitioner shall be given 30 days to file an appeal before the Appellate Authority under Rule 22 of the CCA Rules 1958, who shall decide the appeal within the time limit as prescribed in the judgment, ibid, and the interim order passed by this Court shall continue to operate in favour of the petitioner subject to any further orders to be passed by the Appellate Authority. All issues raised by the petitioner are left open to be looked into by the competent/ appellate authority, as the case may be".

अतः उपर्युक्त निर्देशों की रोशनी में उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह भलीभांति स्पष्ट है कि विभागीय पत्रांक संख्या 02 दिनांक 01.04.2022 द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री दिनकर सिंह, सलेअ–ा का निलम्बन, घटित अपराध के परिप्रेक्ष्य में, अनुसंधान अधिकारी–भ्र.नि.ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से प्रमाणन के आधार पर, कार्मिक विभाग के परिपत्र की पालना में, बिना किसी पूर्वाग्रह के, राज्यहित में किया गया है। चूंकि अपराध भ्रष्टाचार से संबंधित है एवं राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम–1971 के नियम 3[1](i)(iii) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये विभिन्न परिपत्रों एवं नवीनतम शासन सचिव कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)का./क–3/जाँच/2024 दिनांक 10.06.2025 में भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोकसेवकों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में, लोकसेवक द्वारा आचरण नियमों का उल्लंघन किया जाने पर, ऐसे लोकसेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ समानान्तर रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उल्लेख है।

प्रमुख शासन सचिव कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 2(157)कार्मिक/क–3/शिका/97 दिनांक 22.03.2023 में उल्लेख है कि "भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलंबन, लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरीमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलंबन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाना उल्लेखित है।" अतः श्री दिनकर सिंह का निलंबन राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देशों की पालना में किया गया है।

उक्त क्रम में सीसीए नियम–1958 आचरण नियम–1971 तथा कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का मंथन/परीक्षणोपरांत अद्योहस्ताक्षरकर्ता की सम्मति में निलम्बन आदेश को प्रत्याहरित (Revoke) किया जाना राज्य हित में नहीं है। अतः श्री दिनकर सिंह, सलेअ–II का निलंबन आदेश दिनांक 01.04.2022 प्रत्याहरित (Revoke) नहीं किया जाता है।

निलंबन काल में श्री दिनकर सिंह, सलेअ–II का मुख्यालय कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर रहेगा तथा वे नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति अंकित करेंगे। श्री दिनकर सिंह, सलेअ–II को निलंबन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम–53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांकः– प.4(ई)(1)(6)/(डी–4269)/अलेसे–II/66-73 दिनांकः– 10.07.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
3. संयुक्त विधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
4. सहायक निदेशक (जाँच) कार्यालय हाजा।
5. उपनिदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. श्री दिनकर सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)